।। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी : मुन्नीराम बागड़िया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 01/2024

GCMS NO 2023/55

अपीलाण्ट बनाम रेस्पोडेण्ट

श्री चुनाराम के कायम मुकामः–
1. भभूताराम
2. डूंगराराम
3. तुलछाराम

पिसरान चूनाराम

4. मोहनराम पुत्र सांवताराम
5. हुक्माराम पुत्र रघुनाथराम

जाति कुम्हार निवासीयान रावतपुरा तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर।

बनाम

1. अमराराम
2. फौजाराम
3. विशनाराम
4. घेवराराम पिसरान राणाराम
5 उरजा
6. हरखां
7. पदमा
8. हनुमान पिसरान मेघाराम
9. भोमाराम पुत्र लुणाराम
10. इन्द्रा पत्नी लूणा
11. किरता पुत्र अचला
12. जुगता
13.डूंगर पिसरान फैजा
14. विरो पत्नी केसा जाति कुम्हार निवासी रावतपुरा तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर
15. सरपंच मानासर निवासी तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर
16. सरकार जरिए तहसीलदार भणियाणा।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 16.11.2021 तहसीलदार ,भणियाणा द्वारा बंटवारा आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :
1. श्री मोहम्मद अली अपीलांट की ओर से
2. श्री कंवराजसिंह रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 19–06–2024**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट मूलतः ग्राम रावतपुरा पटवार हल्का मानासर तहसील भणियाणा का मूल निवासी है व रेस्पोंडण्टगण भी यही के मूल निवासी है। सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत् अपीलाण्ट के ग्राम रावतपुरा हल्का मानासर तहसील भणियाणा में दिनांक 16.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान का आयोजन किया गया था। उस प्रशासन गांवों के संग अभियान में अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (एडीएम) जैसलमेर

अपने पुश्तैनी खातेदारी शुदा खेत खसरा नंबर 2171 कुल रकबा 413–15 बीघा का वंटवारा एक ऐसी शर्त के अनुसार चाहा गया जो शर्त यह थी कि शामलाती में इन्द्राज भूमि का 1/3 भाग अनुसार 22/1700 हैक्टेयर (137–16 बीघा) का अलग– अलग हिस्सा कर हिस्साकशी कर नामान्तरण में इन्द्राज किया जाए। उक्त खसरा की भूमि में हीरा की ढाणी से केसुला रोड़ बनायी गयी जो उक्त खसरा में विधमान है जो सभी काश्तकारों का आने जाने का सुगम मार्ग है। अपीलाण्ट का हिस्सा दक्षीण की ओर आया हुआ है जो बाड़मेर की सरहद आयी हुई है। अपीलाण्ट के 137.16 बीघा में कुछ हिस्सा ओवरलैंपिंग होने से बाड़मेर में चली गई है जिससे प्रार्थी की भूमि कम इन्द्राज की गई है वर्तमान में किरताराम व मेघाराम के परिवार वाले नया रास्ता निकालने की कार्यवाही कर रहे है एवं पूर्व में जो रास्ता तीनों काश्ताकारों का उपयोग, उपभोग करता आ रहा है उसे हटाने पर उतारू है। भूमि ओवरलैपिंग व रास्ता निकालने के कारण मौके पर भूमि की कमी हुई है। उक्त भूमि में दक्षिण हिसा होना सही इन्द्राज किया है उक्त खसरा नंबर 2171 के मिन खसरा 3379/2171 में रकबा 22–1700 हैक्टेयर 1/3 भाग भूमि इन्द्राज नहीं है, उक्त खसरा में ही सरकार द्वारा हीरा की ढाणी से केसुला रोड़ निकाली गयी है, जो रोड़ अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य जोड़ती है जो आने जाने का सुगम रास्ता है। पटवारी हल्का ने मात्र नक्शे में ही 1/3 हिस्सा दर्शाया है जबकि मौके पर अपीलाण्ट के हिस्से के अनुसार करीबन 23–00 बीघा की कमी है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कोई पैमाइश नहीं की गई।

अपीलांट ने अपील में तहसीलदार भणियाणा के प्रशासन गांवों के संग अभियान में दिनांक 16.11.2021 को अपास्त करने का निवेदन किया है। रेस्पोंडेंट 1 से 14 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब में बताया कि अपीलाण्ट द्वारा म्याद बाहर अपील 16.01.2021 को लोक अदालत की भावना से सहमति से किये गये बंटवारे के विरूद्ध दिनांक 24.01.2022 को पेश की गई है जो म्याद बाहर है। बंटवारा की जानकारी उन्हे प्रथम दिन से ही थी और मात्र 17.12.2021 को नकल लेकर गलत आधारों पर बिमारी का कारण बताकर दिनांक 24.01.2022 को पेश की गई है बिमारी का कोई दस्तावेज पेश नहीं है। प्रार्थीगण का आधार प्रथम दृष्टया असत्य प्रतित होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम आधारहीन होने से खारीज योग्य है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं अपील म्याद बाहर होने से म्याद के बिन्दु पर खारीज फरमावे एवं मूल अपील के निर्णय से पूर्व धारा 05 म्याद अधिनियम का बिन्दु निर्णित फरमावें। खसरा संख्या 2171 रकबा 413.15 बीघा का बंटवारा आपसी सहमति व अधिकारियों व ग्राम पंचायत के मौजिज व्यक्तियों की सहमति से किया था। हल्का पटवारी की मौके रिपोर्ट व तहसीलदार भणियाणा के जवाब के अनुसार वर्तमान में खातेदारों के मौका कब्जा काश्त अनुसार तारबंदी की हुई है। तथा पुरे खसरे भीतर डामर सड़क गुजरती है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। सभी काश्तकार अपने कब्जे अनुसार खेती– काश्त कर रहें है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपील से संबंधित सारगर्भित एवम् सुसंगत दस्तावेजात का भी अवलोकन किया गया। अपील के आधारों के संबंध में रेस्पोडेण्ट पैरोकार राज के जवाब पर मनन किया। उभय पक्ष के मध्य हस्तगत पत्रावली में विवेचनाधीन अपील में वर्णित बंटवारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

आदेश की वैधानिक स्थिति को लेकर कोई भिन्न मत नहीं है। सीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अुनसार, किसी भी अपील या आवेदन को सीमा अवधि समाप्त होने के बाद भी स्वीकार किया जा सकता है, यदि अपीलकर्ता/आवेदन न्यायालय को आश्वत करता है कि सीमा अवधि के दौरान अपील/आवेदन दायर न कर पाने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण थे। यदि न्यायालय संतुष्ट है तो अपील /आवेदन दायर करने में ऐसी देरी को माफ किया जा सकता है, चाहे पक्ष राज्य हो या नीजी।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भणियाणा द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में पारित बंटवारा आदेश दिनांक 16.11.2021 को अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार भणियाणा को आदेशित किया जाता है कि खसरा संख्या 2171 रकबा 413.15 बीघा का बंटवारा काश्त कब्जा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी की अपने-अपने रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर पृथक-पृथक बंटवारा बाई मिटस एवं बाउण्डस किया जाकर नामान्तरण दर्ज करावें। दोनों पक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं तहसीलदार भणियाणा को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर